ट्रॉमा-केयर का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट का आदेश और राज्यों की स्थिति

मौलिक अधिकार/स्वास्थ्य-शासन | समाचार संदर्भ: 26 मई-26 जून 2026 | प्रकाशित: 22 अक्टूबर 2026

सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2026 के आदेश में कहा कि नागरिकों का ट्रॉमा-केयर (आपात चिकित्सा) का अधिकार जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का अभिन्न अंग है, और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को नौ उपायों के लिए समय-सीमा दी (The Hindu, 29 मई 2026) [प्रेस]। एक महीने बाद सामने आया कि 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की अदालती प्रस्तुतियों के अनुसार किसी एक राज्य में भी पाँच प्रमुख उपायों (आपातकालीन नंबर, GPS-एम्बुलेंस, गुड सेमैरिटन कानून, ट्रॉमा रजिस्ट्री, रेस्क्यू प्रोटोकॉल) का पूरा ढाँचा नहीं है (Indian Express, 26 जून 2026) [प्रेस]।

सुप्रीम कोर्ट का 26 मई आदेश: प्रमुख निर्देश

Savelife Foundation की याचिका पर न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ए.एस. चांदूरकर की पीठ का आदेश [प्रेस]। प्रमुख निर्देश: तीन माह में सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश आपातकालीन सेवाओं के लिए एक नंबर ‘112’ चालू करें और गुड सेमैरिटन शिकायत-निवारण तंत्र बनाएँ; राज्य मासिक बैठकें कर मिनट्स पोर्टल पर डालें [प्रेस]। केंद्र तीन माह में ट्रॉमा मेडिकल-रेस्क्यू प्रोटोकॉल जारी करे; सभी पंजीकृत एम्बुलेंस (सार्वजनिक व निजी) AIS-125 अनुपालन, GPS/VLTD और 112 से रीयल-टाइम एकीकरण; स्वास्थ्य मंत्रालय आठ सप्ताह में ट्रॉमा-रजिस्ट्री डेटा-प्रारूप जारी करे, राज्य चार माह में राज्य ट्रॉमा-रजिस्ट्री बनाएँ [प्रेस]। 112, गुड सेमैरिटन संरक्षण (मोटर वाहन अधिनियम धारा 134A) और PM-RAHAT (कैशलेस उपचार) पर एक माह में बहुभाषी जन-जागरूकता अभियान; जिन राज्यों ने PM-RAHAT नहीं अपनाया, तीन माह में चालू करें; मामला चार माह बाद सूचीबद्ध [प्रेस]। पीठ ने लिखा: “हर मिनट बिना चिकित्सकीय हस्तक्षेप के बचने की गुंजाइश घटाता है — तेज़ी शाब्दिक रूप से दवा जैसी है” [प्रेस]।

एक माह बाद: राज्यों की स्थिति (IE विश्लेषण)

1,200 पन्नों की अदालती प्रस्तुतियों के अध्ययन से: दुर्घटना-मृत्यु का दो-तिहाई हिस्सा रखने वाले आठ राज्यों (UP, TN, महाराष्ट्र, MP, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, आंध्र) में से सात ने अपने सभी आपातकालीन नंबर 112 में नहीं मिलाए (कर्नाटक ने जानकारी नहीं दी) [प्रेस]। गुड सेमैरिटन शिकायत-तंत्र केवल महाराष्ट्र और कर्नाटक में; निजी एम्बुलेंस तक GPS-डेटा नहीं पहुँचता; सात राज्य एम्बुलेंस की रीयल-टाइम निगरानी 112-NERS से नहीं जोड़ते [प्रेस]। 2024 में 1.77 लाख सड़क-मृत्यु; NITI आयोग-AIIMS (2021) के अनुसार ट्रॉमा-मृत्यु का कम-से-कम 30% आपात-देखभाल में देरी से जुड़ा [प्रेस]। पृष्ठभूमि: 30 मार्च 2016 का SC आदेश (गुड सेमैरिटन अधिकार), MoRTH के 2020 नियम (धारा 134A), गोल्डन ऑवर में सहायता पर ₹25,000 पुरस्कार [प्रेस]।

सहायता की शृंखला में जिम्मेदारी

सर्वोच्च न्यायालय के मूल आदेश में दुर्घटना की शुरुआती प्रतिक्रिया, प्राथमिक सहायता, निकट उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधा तक परिवहन और अस्पताल पहुँचने के बाद की तत्काल देखभाल को अलग चरण माना गया है। इसलिए केवल एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाना पूर्ण ट्रॉमा-व्यवस्था का विकल्प नहीं है। फोन पर सूचना से उपचार मिलने तक हर चरण के बीच समन्वय जरूरी है।

112 में तकनीकी और परिचालन एकीकरण का निर्देश सिर्फ नए नंबर के प्रचार से आगे जाता है। GPS/VLTD और वास्तविक-समय संपर्क का महत्व उपलब्ध संसाधन की स्थिति जानने में है। फिर भी स्थान दिखाई देना और प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा समय पर सही देखभाल मिलना अलग परिणाम हैं। आदेश में प्रतिक्रिया-समय, उपचार की गुणवत्ता, उपकरण और परिणाम के संरचित ऑडिट का उल्लेख इसी व्यापक मूल्यांकन से जुड़ता है।

रजिस्ट्री, प्रशिक्षण और जवाबदेही

मूल आदेश का दायरा राष्ट्रीय राजमार्ग तक सीमित नहीं है। चिकित्सा सुविधाओं की ग्रेडिंग में राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़क और शहरी/परि-शहरी क्षेत्र भी शामिल हैं। आदेश राज्यों को NCAHP द्वारा अधिसूचित आपात चिकित्सा तकनीशियन पाठ्यक्रम अपनाने और प्रशिक्षण से जोड़ने को भी कहता है।

ट्रॉमा रजिस्ट्री का उद्देश्य केवल मरीजों की संख्या जोड़ना नहीं, दुर्घटना से उपचार और परिणाम तक जानकारी को व्यवस्थित करना समझा जा सकता है। नीतिगत रूप से इससे सेवा में देरी कहाँ है, यह पहचानना संभव हो सकता है। साथ ही शिकायत-निवारण, मासिक बैठक और अनुपालन-रिपोर्ट से जिम्मेदारी तय करने का ढाँचा जुड़ता है।

निष्कर्ष

ट्रॉमा-केयर का अधिकार जमीन पर तभी अर्थपूर्ण होगा जब सूचना, परिवहन, प्रशिक्षित उपचार और अस्पताल की तैयारी साथ काम करें। मई-जून की अनुपालन स्थिति को उस समय की स्थिति के रूप में पढ़ें; इसे बिना नए रिकॉर्ड जाँचे नवंबर का वर्तमान राष्ट्रीय आकलन न घोषित करें।

परीक्षा की दृष्टि से

- **GS-2 (अधिकार/शासन):** अनुच्छेद 21 का विस्तार — ट्रॉमा-केयर का अधिकार; केंद्र-राज्य समन्वय और अनुपालन-रिपोर्टिंग तंत्र [प्रेस]।
- **GS-3 (बुनियादी ढाँचा/सड़क-सुरक्षा):** AIS-125, NERS-112, ट्रॉमा-रजिस्ट्री, PM-RAHAT; गोल्डन ऑवर अवधारणा [प्रेस]।
- **करेंट अफेयर्स:** SC आदेश 26 मई 2026 (Savelife Foundation याचिका); 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की प्रस्तुतियाँ — पाँच प्रमुख उपाय कहीं पूर्ण नहीं [प्रेस]।

यह भी पढ़ें: PM-RAHAT: 28 जुलाई 2026 तक दावे, स्वीकृति और निपटान; सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2024: 1.77 लाख मृत्यु।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

"सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में आपातकालीन ट्रॉमा-देखभाल के अधिकार और राज्यों की तैयारी-स्थिति की समीक्षा कीजिए। कार्यान्वयन की चुनौतियों की चर्चा करते हुए समाधान सुझाइए।" (सामान्य अध्ययन-II; 250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: सर्वोच्च न्यायालय ने आपातकालीन ट्रॉमा-देखभाल को जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग माना और 112 एकीकरण, सुविधाओं की ग्रेडिंग, ट्रॉमा रजिस्ट्री तथा संरचित ऑडिट के निर्देश दिए।

मुख्य भाग में: चुनौतियाँ हैं: सूचना से उपचार तक की शृंखला के हर चरण का समन्वय, प्रशिक्षित कर्मियों की कमी और राज्यों की असमान तैयारी। समाधान में NCAHP-अधिसूचित पाठ्यक्रम अपनाना, रजिस्ट्री से देरी की पहचान, मासिक बैठक और अनुपालन-रिपोर्ट से जवाबदेही तय करना शामिल है।

निष्कर्ष में: यह अधिकार तभी अर्थपूर्ण होगा जब सूचना, परिवहन, प्रशिक्षित उपचार और अस्पताल की तैयारी साथ काम करें; तैयारी-स्थिति का आकलन दिनांकित अनुपालन रिकॉर्ड से ही हो।

स्रोत

- [प्रेस] The Hindu (PTI), “Right to trauma care of citizens integral part of right to life: Supreme Court”, 29 मई 2026 — thehindu.com (आदेश 26 मई 2026)
- [प्रेस] Indian Express (Dheeraj Mishra), “Saving lives on road: Supreme Court told states to put in five key measures; none has all of them”, 26 जून 2026 — indianexpress.com
- Supreme Court final order (26 May 2026) - 2026 INSC 567 (प्राथमिक)

इस लेख को डाउनलोड करें: PDF